[2021] 9 एस. सी. आर 1086

सुनील टोडी और ओआरएस।

वी.

गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1446)

3 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss. 138 , 141 - सुनील टोडी और ओआरएस का कोड।

दंड प्रक्रिया, 1973 एस. एस. 202 , 203 और 482-का अपमान

प्रतिभूति के माध्यम से जारी किया गया चेक-दूसरे प्रतिवादी और कंपनी के बीच एक बिजली आपूर्ति समझौता (पीएसए) किया गया था।

- पक्षों के बीच पी. एस. ए. ने परिकल्पना की कि दूसरा प्रतिवादी उस कंपनी को बिजली की आपूर्ति करेगा जिसमें अपीलार्थी निदेशक आदि हैं। समझौते में कहा गया कि आपूर्ति की गई बिजली के लिए भुगतान रुपये की राशि में लेटर ऑफ क्रेडिट (एल. सी.)-एक चेक पोस्ट-दिनांक 28.08.2017 के माध्यम से किया जाएगा। 2,67,84,000 / कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किया गया था, इसके विपरीत निम्नलिखित समर्थन के साथ, "केवल सुरक्षा उद्देश्य के लिए पुष्टि के बाद जमा किया जाना था"-बिजली की आपूर्ति थी

01.07.2016 पर शुरू किया गया-हालाँकि, एल. सी. 'प्रदान किए गए थे, वे कथित रूप से दूसरे प्रतिवादी द्वारा उठाए गए दूसरे प्रतिवादी बिलों के बैंकरों को स्वीकार्य रूप में नहीं थे -

कंपनी ने अपने समझौते को समाप्त कर दिया और कंपनी द्वारा जारी किए गए दूसरे प्रतिवादी चेक को जमा कर दिया गया-चेक को दराज़ द्वारा भुगतान रोकने के कारण से अपमानित किया गया था '-अपीलकर्ताओं ने यू/एस के तहत अपराध का आरोप लगाया। 138 एन. आई. अधिनियम-दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक आपराधिक शिकायत दायर की गई थी-मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों को समन जारी किया-अपीलार्थियों ने यू / Cr.P.C का s.482.-उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द करने के लिए याचिकाओं को खारिज कर दिया-पहले

उच्चतम न्यायालय में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि चेक प्रतिभूति के उद्देश्य से जारी किया गया था न कि नकदीकरण के लिए-आयोजितः द.

एस को स्पष्टीकरण दें। 138 एन. आई. अधिनियम में यह प्रावधान है कि 'ऋण या किसी अन्य दायित्व' का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व-ऋण शब्द में उस राशि की राशि भी शामिल है जिसका भुगतान करने का वादा किया गया है।

एक वर्तमान दायित्व के कारण भविष्य के दिन-ऋण वहन किए जाने के बाद जारी किया गया एक पोस्ट-डेट चेक 'ऋण' की परिभाषा द्वारा कवर किया जाएगा-हालांकि, यदि देय राशि एक पर निर्भर करती है

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

आकस्मिक घटना, तो यह आकस्मिकता होने के बाद ही ऋण का रंग लेता है-इसलिए, वर्तमान मामले में, दूसरे प्रतिवादी द्वारा बिजली की आपूर्ति शुरू करने के बाद एक ऋण लिया गया था, जिसके लिए भुगतान स्वीकार न करने के कारण नहीं किया गया था

एल. सी.-अपीलकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि समझौते की समाप्ति से पहले, कंपनी को तीन महीने की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी-एक बार बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान देय हो जाने के बाद।

पीएसए के संदर्भ में, और कंपनी अपने बकाया का भुगतान करने में विफल रही, दूसरे प्रतिवादी को भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार था केवल चेक को प्रतिभूति के रूप में लेबल करना

कानूनी रूप से पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक उपकरण के रूप में इसके चरित्र को दूर करें

प्रवर्तनीय ऋण या देयता, एक बार बिजली की आपूर्ति प्रदान किए जाने के बाद जिसके लिए धन देय और देय था-ऐसा कोई अनम्य नियम नहीं है जो प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चेक को अनुबंध के संदर्भ में भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से रोकता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss. 138 , 141 – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस. एस. 202 , 203 और 482-अपमान

प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चेक का भुगतान-दूसरे प्रतिवादी और कंपनी के बीच एक बिजली आपूर्ति समझौता (पी. एस. ए.) किया गया था-एक चेक पोस्ट-दिनांक 28.08.2017 रुपये की राशि में। 2,67,84,000 / - कंपनी के पक्ष में जारी किया गया था

प्रत्यर्थी, अपने पिछले हिस्से पर निम्नलिखित समर्थन के साथ, "केवल सुरक्षा उद्देश्य के लिए पुष्टि के बाद जमा किया जाना था"-बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई थी-दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा बिल उठाए गए थे कंपनी द्वारा जारी किए गए दूसरे प्रत्यर्थी चेक के साथ अपने समझौते को समाप्त कर दिया गया था-चेक को दराज़ द्वारा भुगतान रोकने के कारण से अपमानित किया गया था '-अपीलकर्ताओं ने यू/एस के तहत अपराध का आरोप लगाया। 138 एन. आई. अधिनियम-दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक आपराधिक शिकायत दायर की गई थी-मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों को समन जारी किया-वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्ति औरंगाबाद में रहते थे जबकि शिकायत यू/एस। 138 मुंद्रा में मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया था-अपीलार्थियों का तर्क है कि इन परिस्थितियों में, मजिस्ट्रेट स्थगित करने के लिए कर्तव्यबद्ध था

प्रक्रिया जारी करना और या तो स्वयं मामले की जांच करना या या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच का निर्देश देना-आगे यह तर्क दिया गया कि समन आदेश ने विवेक का उपयोग नहीं किया-आयोजित किया गयाः की उप-धारा (1) के अधीन एस. 202 , एक मजिस्ट्रेट को एक ऐसे अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर जिसका वह संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है, उसे [2021] 9 एस. सी. आर. करने का अधिकार है।

अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करना और (i) मामले की जांच करना; या (ii) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देना जो वह उचित समझे-यदि

मजिस्ट्रेट स्वयं जाँच करता है, यह अनिवार्य नहीं है कि उसे गवाहों से पूछताछ करनी चाहिए और उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट दस्तावेजों की जाँच कर सकता है ताकि यह संतुष्ट हो सके कि पर्याप्त आधार हैं।

यू/एस को आगे बढ़ाने के लिए। 202 - वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने कहा हैः (i) शिकायत; (ii) शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामा; (iii) साक्ष्य सूची के अनुसार साक्ष्य और; और (iv) शिकायतकर्ता की प्रस्तुतियाँ-शिकायतकर्ता द्वारा पारित आदेश

मजिस्ट्रेट को मन का उपयोग न करने के विश्वासघात के रूप में अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है-क्योंकि यह तय किया गया है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या प्रक्रिया जारी की जानी है, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या नहीं दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच बिजली आपूर्ति समझौते (पी. एस. ए.) में परिकल्पना की गई है कि दूसरा प्रतिवादी

उस कंपनी को शक्ति की आपूर्ति करेगा जिसमें अपीलार्थी निदेशक हैं या, जैसा भी मामला हो, प्रबंध निदेशक हैं। द.

समझौते में कहा गया था कि आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए भुगतान ऋण पत्र (एल. सी.) के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, एल. सी. प्रदान किए गए थे, वे कथित रूप से दूसरे प्रतिवादी के बैंकरों को स्वीकार्य रूप में नहीं थे। याचिकाकर्ता नहीं करते हैं

इस बात पर विवाद है कि समझौते की समाप्ति से पहले कंपनी को तीन महीने की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी। दूसरे शब्दों में, बिजली की आपूर्ति के लिए समझौते पर कार्रवाई की गई थी और दूसरे प्रतिवादी द्वारा बिजली की आपूर्ति की गई थी और कंपनी द्वारा खपत की गई थी। [पैरा 23] [1106-एफ-एच]

2. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'ऋण या किसी अन्य दायित्व' का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व है। सावधि ऋण में वह राशि भी शामिल है जिसका भुगतान वर्तमान दायित्व के कारण भविष्य के दिन करने का वादा किया गया है। ऋण चुकाने के बाद जारी किया गया दिनांक के बाद का चेक 'ऋण' की परिभाषा में शामिल होगा। हालाँकि, यदि देय राशि एक आकस्मिक घटना पर निर्भर करती है, तो यह आकस्मिकता होने के बाद ही ऋण का रंग लेती है।

सुनील टोडी और ओआरएस। वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

इसलिए, वर्तमान मामले में, एक ऋण के बाद खर्च किया गया था

दूसरे प्रतिवादी ने बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जिसके लिए एल. सी. की अस्वीकृति के कारण भुगतान नहीं किया गया था। निर्धारित किया जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या धारा 138 केवल उस स्थिति को शामिल करती है जहां चेक निकालने के समय बकाया ऋण है या इसमें चेक को भुनाने से पहले किए गए ऋण के लिए चेक लेना शामिल है। [पैरा 25] [1107-बी-सी; 1108-ए-सी]

3. एन. आई. अधिनियम का उद्देश्य चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाना और परक्राम्य की दक्षता में विश्वास पैदा करना है।

व्यवसाय के लेन-देन के लिए उपकरण। प्रावधान का उद्देश्य अनुचित हो जाएगा यदि प्रावधान की व्याख्या उन मामलों को बाहर करने के लिए की जाती है जहां ऋण चेक निकालने के बाद लेकिन इसके नकदीकरण से पहले किया जाता है। खंड का वास्तविक उद्देश्य

138 पूरा नहीं किया जाएगा, अगर 'ऋण या अन्य दायित्व' की व्याख्या की जाती है

केवल उस ऋण को शामिल करना जो चेक निकालने की तारीख तक मौजूद हो। इसके अलावा, संसद ने 'ऋण या अन्य दायित्व' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। "या अन्य दायित्व" अभिव्यक्ति का अपना एक अर्थ होना चाहिए, विधायिका ने दो अलग-अलग वाक्यांशों का उपयोग किया है। अभिव्यक्ति या अन्य दायित्व की एक सामग्री होती है जो यह 'ऋण' से अधिक व्यापक है और इसे ऋण के बराबर नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में, चेक निकटता में जारी किया गया था

बिजली आपूर्ति की शुरुआत। वाणिज्यिक लेन-देन के संदर्भ में चेक जारी करने को व्यावसायिक लेन-देन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चेक जारी होने के बाद बिजली की आपूर्ति की गई। यह अभिनिर्धारित करना कि चेक उस देयता के संदर्भ में जारी नहीं किया गया था जिसे कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए देय राशि का भुगतान करने के लिए माना जा रहा था, व्यावसायिक लेन-देन के विपरीत परिणाम देने के लिए होगा। यदि कंपनी संतोषजनक एल. सी. प्रदान करने में विफल रहती है और फिर भी बिजली का उपभोग करती है, तो बकाया राशि को पूरा करने के उद्देश्य से चेक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। [पैरा 26] [1108-डी-एच] 4. एक बार जब बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान पीएसए के संदर्भ में देय हो गया, और कंपनी अपने बकाया का भुगतान करने में विफल रही, तो दूसरा प्रतिवादी भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करने का कानूनी रूप से हकदार था। केवल चेक को प्रतिभूति के रूप में लेबल करने से कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण के रूप में इसके चरित्र को कम नहीं किया जा सकेगा।

21] 9 एस सी आर।

प्रवर्तनीय ऋण या देयता, एक बार बिजली की आपूर्ति प्रदान की गई थी जिसके लिए देय और देय धन थे। ऐसा कोई अनम्य नियम नहीं है जो प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चेक को अनुबंध के संदर्भ में भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से रोकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता उत्पन्न हुई है या नहीं। [पैरा 27] [1109-बी-डी] 5. धारा 202 की उप-धारा (1) के तहत, एक मजिस्ट्रेट एक ऐसे अपराध की शिकायत की प्राप्ति पर जिसके लिए वह दोषी है।

संज्ञान लेने के लिए अधिकृत को स्थगित करने का अधिकार है

अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करना और या तो (i) मामले की जांच करना; या (ii) किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देना जो वह उचित समझे। जाँच या जाँच के उद्देश्यों के लिए प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या ऐसा है या नहीं। आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जमीन। हालांकि, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे मामले में ऐसा करना अनिवार्य है जहां आरोपी उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्ति औरंगाबाद में रहते हैं जबकि धारा 138 के तहत शिकायत मुंद्रा में मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई थी। अपीलार्थियों का तर्क है कि इन परिस्थितियों में, मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने और या तो स्वयं मामले की जांच करने या या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य था। [पैरा 32] [1111-ई-एच]

शपथ लेने के लिए। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (2) इस संबंध में धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती है शपथ पर गवाहों की परीक्षा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों का साक्ष्य सुनील टोडी और ओआरएस होगा।

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

शपथपत्र पर अनुमति दी गई। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं जाँच करता है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि वह गवाहों से पूछताछ करे और

उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट होने के लिए दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं कि धारा 202 के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। [पैरा 38] [1118-ए-डी] 7. वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने कहा हैः ((i) शिकायत; (ii) शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामा; (iii) साक्ष्य सूची के अनुसार साक्ष्य और (iv) शिकायतकर्ता की प्रस्तुतियाँ। [पैरा 39] [1118-ई]

8. मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को मन का उपयोग न करने के विश्वासघात के रूप में अमान्य नहीं माना जा सकता है। डी में। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक v. रोशनलाल अग्रवाल, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या प्रक्रिया जारी की जानी है, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या नहीं

9. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ शिकायत को रद्द नहीं किया क्योंकि यह प्रथम दृष्टया स्थापित था कि वे थे चेक के अनादर के लिए परीक्षण योग्य। एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में कहा गया है कि यदि किसी कंपनी पर धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो 'प्रभारी' था।

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का और उसके प्रति उत्तरदायी भी अपराध का दोषी माना जाएगा। परंतुक एक अपवाद प्रदान करता है यदि वह साबित करती है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उचित परिश्रम किया था। [पारस 41-42] [1119-G-H; 1120-A]

10. यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या प्रबंध निदेशक या निदेशक पर अपराध के लिए आरोप लगाया जाना चाहिए

कंपनी को यह निर्धारित करना है कि क्या धारा 141 की शर्तें

एन. आई. अधिनियम को पूरा किया गया है, अर्थात, क्या व्यक्ति अपराध के दौरान कंपनी के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार था। हालांकि, यह निर्धारित करना कि क्या अधिनियम की धारा 141 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है, एक परीक्षण का विषय है। पर्याप्त कथन [2021] 9 एस. सी. आर. हैं।

उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला उठाने की शिकायत में। यह केवल मुकदमे में ही है कि वे धारा 141 के प्रावधान का सहारा ले सकते हैं, न कि प्रक्रिया जारी करने के चरण में। [पैरा 44] [1122-डी-ई] 11. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि चुनौती के प्रमुख आधार जो की ओर से स्थापित किए गए हैं

अपीलार्थी मुकदमे में बचाव के सभी मामले हैं। मजिस्ट्रेट ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के लिए अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं था। उच्च न्यायालय ने सावधानीपूर्वक विचार किए गए निर्णय में, अपीलार्थियों की दलीलों का विश्लेषण किया है और उचित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उनमें सार की कमी है। [पैरा 45] [1122-एफ]

एच. एम. टी. घड़ियाँ बनाम एमए हबीदा (2015) 11 एससीसी

776 : [2015] 3 एससीआर 719; महमूद यूआई रहमान बनाम। खजीर मोहम्मद टुंडा (2015) 12 एस. सी. सी. 420: [2015] 4 एससीआर 841; बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। एडवेंटज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स (2019) 16 एस. सी. सी. 610: [2019] 7 एससीआर 655; कृष्ण लाल चावला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 5 एस. सी. सी. 435: 2021 एयर 1381; पुनः एन. आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई सुओ मोटू रिट याचिका

(सी. आर. एल.) 2020 का सं. 2,16 अप्रैल 2021 को तय किया गया; एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स वी. नीता भल्ला (2005) 8 एससीसी

89 [2005] 3 पूरक। एससीआर 371; मैनुद्दीन अब्दुल सत्तार शेख बनाम। विजय डी साल्वी (2015) 9 एस. सी. सी. 622: [2015] 6 एससीआर 1033-पर निर्भर।

इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम। मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (2014) 12 एससीसी 539: [2014] 5 एस. सी. आर. 56; सैम्पेली सत्यनारायण राव बनाम। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (2016) 10 एससीसी

458 [2016] 6 एस. सी. आर. 531; श्रीपति सिंह बनाम की स्थिति

झारखंड 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1002; केशोरम

उद्योग बनाम। सी. डब्ल्यू. टी. ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1370; मेसर्स वोम्ब लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड v. विजय आहूजा आपराधिक अपील

2019 की संख्या 1382-1383,11 सितंबर 2019 को तय की गई;

विजय धनुका बनाम। नजीमा ममताज (2014) 14 एस. सी. सी. 638: [2014] 4 एस. सी. आर. 171; पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस. सी. सी. 749: [1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 12; अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुखर निंबालकर सुनील टोडी और ओआरएस।

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

(2017) 3 एस. सी. सी. 528 [2016] 9 एस. सी. आर. 475; डी. मुखिया।

आयात और निर्यात नियंत्रक v. रोशनलाल अग्रवाल

वी. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2012) 5 एस. सी. सी. 424: [2012] 2 एससीआर 696; सुनील भारती मित्तल बनाम। सीबीआई (2015) 4 एससीसी

609 : [2015] 1 एस. सी. आर. 377-संदर्भित।

बंचाराम मजूमदार बनाम। आदित्यनाथ भट्टाचार्जी (1909) आई. एल. आर. 36 कैल 936-संदर्भित।

वेब बनाम में लिंडे एल. जे. स्ट्रेंशन 1888 क्यू. बी. डी. 518; लोग वी. आर्गुएलो 1869 37 कैलिफ़ोर्निया 524 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

014] 5 एससीआर 56

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

016] 6 एससीआर 531

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

उस पर भरोसा करें

015] 3 एससीआर 719

पैरा 21

014] 4 एससीआर 171

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

015] 4 एससीआर 841

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

997] 5 पूरक। एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

016] 9 एससीआर 475

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

019] 7 एससीआर 655

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

003] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

012] 2 एससीआर 696

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

015] 1 एससीआर 377

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

005] 3 पूरक। एससीआर 371

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

015] 6 एससीआर 1033

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

आपराधिक अपील

ओ। 1446 2021 से।

उच्च न्यायालय के 26.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विशेष आपराधिक आवेदन No.975 में अहमदाबाद में गुजरात

17 .

के साथ 2021 की आपराधिक अपील No.1447।

21] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धार्थ लूथरा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , देबमाल्या सी।

बनर्जी, समरजीत पटनायक, रोहन शर्मा, विकास गोगने, कार्तिक भटनागर, पुनीत रेलान, इरफान मुजामिल, राहुल टोटाला, निकोलस।

मोहित माथुर, सुश्री रेबेका जॉन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमन गुप्ता, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री प्रेरणा महापात्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. गुजरात उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो अपीलकर्ताओं द्वारा दूसरे प्रतिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शुरू की गई आपराधिक शिकायत 2 को रद्द करने के लिए शुरू की गई थी और शिकायत पर जे. एम. एफ. सी. मुंद्रा के 3 नवंबर 2017 के समन के आदेश को चुनौती दी गई थी। शिकायत रुपये. 2,67,84,000/- की राशि में एक चेक के अपमान से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न दो अपीलों में, अपीलार्थी क्रमशः चार निदेशक और

आर. एल. स्टील्स एंड एनर्जी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी के प्रबंध निदेशक।

2. जिस पृष्ठभूमि में विवाद पैदा हुआ है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 19 दिसंबर 2015 को कंपनी द्वारा दूसरे प्रतिवादी को निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कंपनी के संयंत्र में आपूर्ति। आशय पत्र के खंड (के) में परिकल्पना की गई है कि सभी भुगतान कंपनी द्वारा खोले जाने वाले ऋण पत्र के माध्यम से साठ दिनों के भीतर किए जाएंगे। 29 अप्रैल 2016 को कंपनी द्वारा एक ईमेल भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि भुगतान प्रतिभूति पैंतालीस दिनों के लिए निर्धारित ऊर्जा की मात्रा के बराबर राशि के लिए चेक द्वारा होगी। मासिक बिलिंग के लिए भुगतान एल. सी. द्वारा सात दिनों के भीतर किया जाना था।

1 " सीआरपीसी "

2 2017 का सीसी सं. 1220

3 " एन. आई. अधिनियम "

4 एसएलपी (सीआरएल) 6590/2019

$ एसएलपी (सीआरएल) 6995/2019 6 " कंपनी "

7 " एल. सी. सुनील टोडी और ओ. आर. एस. वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बिलों की प्राप्ति। 30 अप्रैल 2016 को दूसरे प्रतिवादी की ओर से संबोधित एक पत्र में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। 30 जून 2016 को, कंपनी ने दूसरे प्रतिवादी को एक संचार को संबोधित किया कि वह "केवल प्रतिभूति जमा के लिए" दो चेक जारी कर रही है और चेक को "केवल पुष्टि प्राप्त करने के बाद" जमा किया जाना है। चेक का विवरण इस प्रकार थाः

चेक नं.

राशि

013287

13392000 /

013286

26784000 /

2016 , कंपनी ने अपने बैंकर करूर वैश्य को एक पत्र लिखा बैंक, उपरोक्त दो चेकों के भुगतान को रोकने का अनुरोध करता है। 24 जुलाई 2016 को, दूसरे प्रतिवादी और कंपनी के बीच एक बिजली आपूर्ति समझौता किया गया था। समझौते में परिकल्पना की गई है कि कंपनी एल. सी. द्वारा प्रत्येक कैलेंडर महीने के दसवें दिन दूसरे प्रतिवादी को भुगतान करेगी। खंड 2.5। 1 इस प्रकार निर्धारित समझौते के बारे में:

" 2.5. 1 सदस्य उपभोक्ता इस समझौते के निष्पादन की तारीख को या आपूर्ति शुरू होने की तारीख से 30 (तीस) दिन पहले महाप्रबंधक को एक बीजी /

45 दिनों के ऊर्जा बिल का पोस्टडेटेड चेक, एक रूप और पदार्थ में जनरेटर को ऊर्जा आवेश के बराबर राशि के लिए स्वीकार्य

संविदित क्षमता के लिए किसी भी भारतीय बैंक से देय

जनरेटर को स्वीकार्य "।

4. विद्युत आपूर्ति समझौते की प्रासंगिक शर्तें इस प्रकार थीं -

निम्नलिखित हैः

ऋण पत्र-खंड 2.5 के तहत, कंपनी थी

(अ)

एल. सी. के माध्यम से बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। खंड 2.6 में परिकल्पना की गई है कि कंपनी दूसरे प्रतिवादी के बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार एल. सी. जारी करेगी।

(ख)

भुगतान तिथि और विलंब दंड-खंड 2.7 के तहत, कंपनी को दसवें दिन भुगतान करना था।

हर महीने का भुगतान; जिसकी चूक में पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष का विलंब भुगतान शुल्क देय होगा;

((ग)

एक के मामले में भी दायित्वों से बाध्य होगा विवाद, जब तक कि बिना भुगतान की विफलता न हो

औचित्य; और

पूरा समझौता-खंड 14 प्रदान करता है कि पी. एस. ए.

((घ)

पूरे समझौते का प्रतिनिधित्व करेगा, और प्रतिस्थापित करेगा और

किसी भी पिछले मसौदे, समझौतों को समाप्त करना या

समझ में आता है।

5. 10 अगस्त 2016,12 सितंबर 2016 और 27 सितंबर 2016 को कंपनी के कहने पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में तीन एल. सी. जारी किए गए थे।

6. शिकायत के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रदान किए गए एल. सी. उनके बैंकरों द्वारा आवश्यक प्रारूप में नहीं थे। यह कंपनी थी

कहा जाता है कि ईमेल के आदान-प्रदान में इस स्थिति के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बावजूद, यह आरोप लगाया जाता है कि यह सही प्रारूप में एल. सी. प्रदान करने में विफल रहा।

जुलाई 2016 के महीने के दौरान बिजली आपूर्ति के लिए रुपये 1,66,48,028/- जारी किए गए थे। 1 सितंबर 2016 को, अगस्त 2016 के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के लिए रु. 2,17,24,875/- की राशि में एक चालान उठाया गया था। 1 अक्टूबर 2016 को, सितंबर 2016 के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के लिए रु. 2,19,18,186/- की राशि में एक चालान उठाया गया था। 8. 20 अक्टूबर 2016 को कंपनी ने दूसरे प्रतिवादी के साथ अपना समझौता समाप्त कर दिया। द्वारा जारी किया गया चेक

कंपनी 28 अगस्त 2017 को जमा की गई थी। 18 सितंबर 2017 को, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए अपीलार्थियों को दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था। यह था।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दूसरे प्रतिवादी द्वारा अपने खाता बही में रखे गए खाते के अनुसार, रु. 6,02,91,089/- की राशि बकाया है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने 28 अगस्त

2017 को करूर वैश्य बैंक, औरंगाबाद पर एक चेक जारी किया था, जिसका 'दराज द्वारा भुगतान रोकने' के कारण अपमान किया गया था। कानूनी सुनिल टोडी एंड ओआरएस के जवाब में 5 अक्टूबर 2017 को एक जवाब दिया गया था।

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नोटिस करें। यह कहा गया था कि जो चेक जारी किया गया था वह केवल प्रतिभूति के उद्देश्य से था न कि नकदीकरण के लिए। 9. 2 नवंबर 2017 को, दूसरे प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंद्रा की अदालत में अपीलकर्ताओं के खिलाफ समन जारी करने की मांग करते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी और

रुपये का जुर्माना लगाना। 5,35,68,000 . शिकायत के समर्थन में 3 नवंबर 2017 को एक हलफनामा दायर किया गया था। 6 नवंबर 2017 को मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थियों को समन जारी किया। अपीलकर्ताओं ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाएं दायर कीं। साथ ही, शिकायतकर्ता ने बकाया की वसूली के लिए एक नियमित दीवानी मुकदमा दायर किया।

10. 24 जून 2019 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने शिकायत को रद्द करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

हालांकि, इसने एक नामित निदेशक द्वारा दायर याचिका को रद्द करने की अनुमति दी।

जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन का प्रभारी नहीं था और एक महिला गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा। याचिकाओं को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन करने वाले कारण इस प्रकार हैं:

चेक जारी करने से संबंधित मुद्दे, गैर

((i)

बिजली शुल्क का भुगतान, एल. सी. जारी करना आदि तथ्य के प्रश्न हैं। उन्हें तय करना होगा।

विचारण न्यायालय द्वारा;

((ख)

शिकायत वास्तविक प्रतीत होती है। उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब तक करें जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि इसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था।

आपराधिक कार्यवाहियों की शुरुआत; और

(iii)

दीवानी और आपराधिक दोनों कार्यवाही बनाए रखने योग्य हैं

तथ्यों का वही समूह, जैसा कि इस मामले में है।

11. श्री सिद्धार्थ लूथरा और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलार्थियों की ओर से याचिका के समर्थन में पेश हुए हैं।

अपीलें करें। श्री मोहित माथुर और सुश्री रेबेका जॉन, विद्वान वरिष्ठ वकील दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए हैं। गुजरात राज्य की ओर से विद्वान वकील सुश्री आस्था मेहता पेश हुईं।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अपीलों के समर्थन में तीन प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

((i) चेक जो दूसरे उत्तरदाता को जारी किए गए थे

सभी भौतिक समय पर [2021] 9 एस. सी. आर. के प्रति सुरक्षा के लिए अभिप्रेत थे।

भुगतान करें। इस पर किए गए समर्थन से यह स्पष्ट है

28 अगस्त 2017 को रु. <आई. डी. 1,000/- की राशि में चेक का उल्टा, और पी. एस. ए. के तहत शर्त द्वारा समर्थित है कि भुगतान के माध्यम से होना था

एल. सी. कंपनी द्वारा इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है

सिविल न्यायाधीश की अदालत में दूसरा प्रतिवादी, वरिष्ठ

प्रभाग, आर. सी. एस. 15/2017 जिसमें लिखित में बचाव कथन यह है:

भुगतान में कंपनी द्वारा चूक की गई थी

ए।

जुलाई से बिजली खपत शुल्क

सितंबर 2016; और

हालांकि कंपनी ने कवर करने के लिए एल. सी. जारी किया था

बी।

बिजली बिलों/चालानों का बकाया, यह जानबूझकर मसौदा एल. सी. के संदर्भ में उन्हें प्रस्तुत करने से बच गया था।

कंपनी के बैंकरों द्वारा प्रस्तुत। दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर मुकदमे में

कंपनी, मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष सी. एस. 236/2019 होने के नाते, शिकायत के पैराग्राफ 8 में अभिवचन यह है कि चेक प्रतिभूति के माध्यम से जारी किए गए थे:

" 8. जैसा कि पक्षों के बीच सहमति हुई, इसके बाद प्रतिवादी ने अपने द्वारा Nos.013287 और 013286 वाले दो चेक जारी किए।

रुपये की राशि 1,33,92,000/- (एक करोड़ तैंतीस) केवल लाख और 92 हजार) और रु. 2,67,84,000 /

(दो करोड़ और सत्ताईस लाख और चौरासी

वादी इस शर्त पर कि चेक होने चाहिए अनुमति प्राप्त करने के बाद जमा करें। वादी का कहना है कि

कि वही स्वीकार किया गया था, और शर्त आगे थी

खंड 2.5 के तहत निगमित। 1 पीएसए से। संबद्ध

चेक इसके साथ शिकायत दस्तावेज़ संख्या 5 (कॉली) के रूप में दाखिल किए जाते हैं।

हालाँकि, प्रतिवादी ने बाद में दिनांकित पत्र का वीडियो बनाया

04.07.2016 उनके बैंक को उनके भुगतान को रोकने का आदेश दिया

चेक। इस पत्र को शिकायत के रूप में दाखिल किया गया है।

दस्तावेज़ सं. 6. ”

समान रूप से, चूंकि चेक के माध्यम से जारी किए गए हैंइसमें और जमा करने का इरादा नहीं था, धारा 138 के तहत एक लेंट की स्थापना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

इसलिए, सुनील टोडी और ओआरएस। वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान है

न्यायसंगत;

धारा 202 सी. आर. पी. सी. में स्थगन की परिकल्पना की गई है

((ख)

प्रक्रिया जारी करना जहाँ अभियुक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे रहता है। धारा 202 के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी

मजिस्ट्रेट; और

समन आदेश दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है

(iii)

क्योंकि कोई कारण नहीं बताया गया है

मजिस्ट्रेट।

इस पृष्ठभूमि में, घटनाओं के निम्नलिखित क्रम पर जोर दिया गया

प्रस्तुतियों का क्रमः

10 अगस्त 2016: एल. सी. जारी करना;

शक्ति;

20 अक्टूबर 2016: कंपनी द्वारा पी. एस. ए. की समाप्ति;

30 जून 2017: बैंकरों को रोकने के निर्देश जारी किए गए

भुगतान;

31 अगस्त 2017: चेक की प्रस्तुति;

2 नवंबर 2017: धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई;

3 नवंबर 2017: शिकायत के समर्थन में दायर हलफनामा;

और

6 नवंबर 2017: समन का आदेश जारी किया गया।

13. घटनाओं के उपरोक्त क्रम के आधार पर, यह बताया गया है कि सी. टी. की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मूल्यांकन के क्रम मेंनिर्गम, पूर्ववर्ती रेखा जिस पर एक संदर्भ बनाया गया है, पर विचार किया जाना चाहिए।

14. वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के आह्वान के लिए मामला निम्नलिखित कारणों से दर्ज किया गया हैः

((i)

हालांकि अनुबंध 20 अक्टूबर 2016 को समाप्त कर दिया गया था।

कंपनी द्वारा, बैंक को चेक प्रस्तुत किए गए थे

केवल 31 अगस्त 2017; [2021] 9 एस. सी. आर.

तथ्य यह है कि चेक सुरक्षा के लिए जारी किए गए थे

((ख)

भुगतान चेक के पीछे के समर्थन और मद्रास उच्च न्यायालय में दूसरे प्रतिवादी द्वारा स्थापित शिकायत के पैराग्राफ 8 में प्रवेश से स्पष्ट है;

(111) पी. एस. ए. की शर्तों के तहत, भुगतान की परिकल्पना की गई थी

एल. सी. के माध्यम से किया गया और चेक द्वारा नहीं;

((iv) दूसरे प्रतिवादी द्वारा एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है।

अपने बकाया की वसूली;

(v)

एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने एक अतिरिक्त शुल्क बढ़ाया है जो दूसरे प्रत्यर्थी की चूक के कारण; और

(vi) निदेशक के गंजे बयान के अलावा

कंपनी के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार, उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है

अभियोग ताकि प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत का आह्वान किया जा सके।

15. दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मोहित माथुर और सुश्री रेबेका जॉन ने कहा किः

उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में कहा है कि

((i)

कंपनी के दायित्व के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

अगस्त के महीनों के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के लिए,

सितंबर और अक्टूबर 2016;

((ii) यद्यपि पी. एस. ए. ने परिकल्पना की थी कि भुगतान किया जाएगा।

एल. सी. के माध्यम से, उन्हें सम्मानित नहीं किया जा सका क्योंकि एल. सी. दूसरे के बैंकरों के लिए स्वीकार्य प्रारूप में नहीं था।

उत्तरदाता;

कानून की धारा 138 के आह्वान को प्रतिबंधित नहीं करता है।

(iii)

एन. आई. अधिनियम ऐसी स्थिति में भी जहां चेक हैं

शुरू में एक सुरक्षा के रूप में जारी किया गया था;

((iv) मजिस्ट्रेट का समन आदेश कानून के अनुरूप है।

शिकायत 2 नवंबर 2017 को दर्ज की गई थी और 3 नवंबर 2017 के एक हलफनामे द्वारा इसका विधिवत समर्थन किया गया था। ए.

समन आदेश विशेष रूप से एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामले में विस्तृत कारण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक नहीं है, जो कार्यवाही की संक्षिप्त प्रकृति को ध्यान में रखते हुए; और सुनील टोडी और ओ. आर. एस।

(v) शिकायत में निदेशकों की भूमिका का उल्लेख किया गया है।

और इस स्तर पर प्रथम दृष्टया, प्रत्यावर्ती दायित्व का परीक्षण है

विधिवत मुलाकात हुई।

उपरोक्त परिसर में, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाओं को खारिज करने के लिए विस्तृत कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

16. गुजरात राज्य की विद्वान वकील सुश्री आस्था मेहता ने प्रस्तुत किया है कि 2017 के बाद से मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है।

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का लंबित होना। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

17. जिन मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैं:

क्या चेक का अनादर 'प्रतिभूति' के रूप में प्रस्तुत किया गया है

((i)

एन. आई. की धारा 138 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

अधिनियम;

((ख)

प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करना; और क्या प्रत्यावर्ती दायित्व का प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है

(iii)

अपीलार्थियों के खिलाफ।

18. अपीलार्थियों की ओर से जो पहला निवेदन किया गया है, वह यह है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी क्योंकि 2 करोड़ 67 लाख रुपये का चेक जारी किया गया था।

प्रतिभूति और, इस प्रकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के खिलाफ नहीं है। अपीलार्थी ने इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या खरीद आदेशों के संबंध में अग्रिम भुगतान के रूप में खरीदारों द्वारा जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व का निर्वहन माना जा सकता है और क्या चेक का अनादर धारा 138 के तहत अपराध

है। अपीलकर्ताओं ने पहले प्रतिवादी के साथ विमान के पुर्जों की आपूर्ति के लिए दो खरीद आदेश दिए थे और अग्रिम भुगतान के रूप में दो पोस्ट-डेट चेक जारी किए थे। आपूर्तिकर्ता को एक पत्र मिला

खरीद को रद्द करने और वापसी का अनुरोध करने वाले खरीदारों से

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोनों चेक। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक नोटिस के बाद, धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई, जिस पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया और समन जारी किए गए। उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को स्वीकार कर लिया और आदेश जारी करने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया धारा 138 में "किसी भी ऋण या अन्य दायित्व का निर्वहन" अभिव्यक्ति का अर्थ यह मानते हुए कि चेक जारी करते समय एक देयता होनी चाहिए। अपील में न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा ने दो न्यायाधीशों के लिए लिखा -

पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए अपील को स्वीकार कर लियाः

" 9. धारा 138 के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण धारा के उद्देश्य के लिए "ऋण या अन्य दायित्व" अभिव्यक्ति के अर्थ की व्याख्या करता है।

138. इस अभिव्यक्ति का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य

दायित्व। धारा 138 असम्मानित चेक को अपराध मानती है, यदि

चेक किसी भी ऋण या अन्य के निर्वहन में जारी किया गया है। दायित्व। स्पष्टीकरण में कोई संदेह नहीं छोड़ा गया है कि धारा 138 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए, चेक के निकासी की तारीख पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता मौजूद होनी चाहिए।

दूसरे शब्दों में, मौजूदा भुगतान में चेक का आहरण

10 " 138 . खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर। जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ रखे गए खाते पर कोई चेक निकाला जाता है।

किसी ऋण या अन्य दायित्व का संपूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन बैंक द्वारा भुगतान किए बिना किया जाता है, या तो इस कारण से कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या कि यह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे 8 [एक अवधि जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है] के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथः बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अन्य दायित्व के ऋण" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व। " यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्वास्तिक कोटर्स बनाम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। दीपक ब्रदर्स, 1997 सी. आर. आई. एल. जे. 1942 (ए. पी.), गुजरात उच्च न्यायालय ने शंकू कंक्रीट बनाम. गुजरात राज्य, 2000 करोड़ एल. जे. 1988 (गुजरात), बालाजी समुद्री खाद्य निर्यात बनाम में मद्रास उच्च न्यायालय। मैक इंडस्ट्रीज, (1999) 1 सीटीसी 6 (मैड)।

सुनील टोडी और ओआरएस। वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 138 के तहत अपराध लाने के लिए पूर्व न्यायनिर्णित दायित्व अनिवार्य है। यदि चेक अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किया जाता है

माल की खरीद के लिए और किसी भी कारण से खरीद आदेश को उसके रद्द होने या अन्यथा के कारण उसके तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले जाया जाता है, और जिस सामग्री या सामान के लिए खरीद आदेश दिया गया था, उसकी आपूर्ति नहीं की जाती है, हमारे विचार में, चेक को मौजूदा ऋण या देयता के लिए निकाला गया नहीं माना जा सकता है। अग्रिम भुगतान की प्रकृति में चेक द्वारा भुगतान इंगित करता है कि चेक के निकासी के समय, कोई मौजूदा देयता नहीं थी।

19. नागरिक और आपराधिक दायित्व के बीच अंतर बताते हुए, यह देखा गया कि यदि अग्रिम भुगतान की शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व नहीं लेगा क्योंकि उस समय कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व नहीं है जब चेक निकाला गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि उस समय जब कोई अनुबंध किया जाता है, खरीदार को अग्रिम भुगतान करना पड़ता है और उस शर्त का उल्लंघन होता है, तो खरीदार को विक्रेता को हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है, लेकिन इससे धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व नहीं होगा। अनुबंध के निष्पादन के समय अग्रिम भुगतान के लिए चेक जारी करना-जो कि इंडस एयरवेज में अपनाया गया है-एक स्थायी दायित्व के रूप में नहीं माना जाएगा ताकि चेक के अनादर पर धारा 138 के तहत अपराध को आकर्षित किया जा सके।

20. सैम्पेली में दो न्यायाधीशों की पीठ का एक बाद का फैसला

सत्यनारायण राव बनाम। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड 1 2 ने इंडस एयरवेज में निर्णय पर विचार किया। सैम्पेली में, अपीलकर्ता एक कंपनी का निदेशक था जो बिजली उत्पादन में लगी हुई थी, जबकि प्रतिवादी अक्षय ऊर्जा में लगे एक सरकारी उद्यम था। प्रतिवादी ने सहमति व्यक्त की

बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए अग्रिम ऋण और समझौते में यह परिकल्पना की गई थी कि ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए दिनांक के बाद के चेक प्रतिभूति के रूप में दिए जाएंगे। चेकों का अनादर किया गया, धारा 138 के तहत शिकायतें दर्ज की गईं जिसके कारण उन्हें रद्द कर दिया गया

उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गईं। इस न्यायालय के समक्ष जो निवेदन किया गया था, वह उनके द्वारा दिए गए पोस्ट-डेटेड चेक का अपमान था।

प्रतिभूति का तरीका वर्तमान में धारा 138 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के बराबर नहीं था। इस न्यायालय ने इंडस एयरवेज में निर्णय को स्वीकार करने के बाद कहा कि यदि चेक की तारीख को कोई देयता या ऋण मौजूद है या राशि लागू करने योग्य हो गई है, तो धारा 138 लागू होगी।

आकर्षित होकर खड़े रहें और अन्यथा नहीं। इंडस एयरवेज में निर्णय को सैम्पेली (उपरोक्त) में इस आधार पर अलग किया गया था कि उस मामले में, चेक देयता के निर्वहन के लिए नहीं बल्कि अग्रिम के रूप में जारी किया गया था

एक खरीद आदेश के लिए जिसे रद्द कर दिया गया था। दूसरी ओर, सैम्पेली में, चेक एक ऋण किस्त के पुनर्भुगतान के लिए था जो बकाया था। अदालत ने कहा कि हालांकि किश्तों के पुनर्भुगतान के लिए चेक जमा करने को ऋण में प्रतिभूति के रूप में वर्णित किया गया था

समझौता, सही परीक्षण यह था कि क्या चेक मौजूदा लागू करने योग्य ऋण या देयता के निर्वहन में था या क्या यह एक स्थायी ऋण या देयता के बिना अग्रिम भुगतान के लिए था।

21. सैम्पेली में देखी गई विशिष्ट विशेषताओं के अलावा, एक और आधार था जो इस न्यायालय के फैसले में महत्वपूर्ण था। न्यायालय ने एच. एम. टी. घड़ियों बनाम में निर्णय को स्वीकार किया। एम. ए. हबीदा 13 1 3 ने माना कि क्या चेक सुरक्षा के रूप में दिए गए थे

अभियुक्त के बचाव का गठन करता है और यह मुकदमे का विषय है। एच. एम. टी. घड़ियों में निर्णय से उद्धरण जो निर्णय में उद्धृत किया गया है

इंडस एयरवेज इस प्रकार हैः

" 10. चेक प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे या नहीं, या

बकाया देयता थी या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही निचली अदालत द्वारा किया जा सकता था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय को आपराधिक संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका में तथ्य के विवादित प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए था

प्रक्रिया, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपराध नहीं बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक पहलुओं में जाने में कानूनी रूप से गलती की है जिन्हें दोनों पक्षों के बीच स्वीकार नहीं किया गया था।

पार्टियाँ।

और एन. आई. अधिनियम की धारा 138 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। दूसरे उत्तरदाता और के बीच एक लेन-देन था शिकायतकर्ता जिसके अनुसार अपीलार्थी के पास अग्रिम राशि थी, कई चेक सौंपे गए लेकिन उनका अपमान किया गया।

प्रस्तुति। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। इस अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने आग्रह किया कि एक चेक

13 (2015) 11 एस. सी. सी. 776 14 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1002 सुनील टोडी और ओ. आर. एस.

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ऋण के निर्वहन के लिए जारी किए गए और वसूली के लिए प्रस्तुत किए गए ऋण को लेनदेन के लिए प्रतिभूति के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपील में, इस अदालत ने उल्लेख किया कि चार ऋण समझौते थे जिनके तहत दूसरा प्रतिवादी कुल 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ और छह चेक प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि ऋण समझौते के तहत चेक प्रतिभूति के माध्यम से दिए गए थे, इसलिए शिकायत को बनाए नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए इंडस एयरवेज और एयर इंडिया मामले में पहले के फैसले का समर्थन किया। विशिष्ट विशेषताएं जो सैम्पेली में निर्णय में देखी गई थीं। न्यायालय ने कहा कि जहां ऋण लेन-देन के मामले में, उधारकर्ता एक निर्दिष्ट समय सीमा में राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है और पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिभूति के रूप में एक चेक जारी करता है और ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया चेक प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

परिस्थिति '। प्रतिभूति अपने सही अर्थों में सुरक्षित होने की स्थिति है और ऋण के लिए दी गई प्रतिभूति भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, जमा किया जाता है या गिरवी रखा जाता है
एक दायित्व की पूर्ति जिसके लिए लेन-देन के पक्ष बाध्य हैं। यदि लेन-देन में, एक ऋण अग्रिम है और उधारकर्ता एक निर्दिष्ट समय सीमा में राशि चुकाने के लिए सहमत होता है और एक ऋण जारी करता है।

इस तरह के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में चेक; यदि ऋण राशि का भुगतान नियत तिथि से पहले किसी अन्य रूप में नहीं किया जाता है या यदि पक्षों के बीच स्थगित करने के लिए कोई अन्य समझ या समझौता नहीं है

राशि का भुगतान, जो चेक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है, वह प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व हो जाएगा और चेक का आहरणकर्ता उसे प्रस्तुत करने का हकदार होगा। इस तरह की प्रस्तुति पर, यदि इसका अपमान किया जाता है, तो धारा 138 के तहत विचार किए गए परिणाम

और एन. आई. अधिनियम के अन्य प्रावधानों का प्रवाह होगा।

इसके अलावा, जैसा कि अदालत ने समझायाः
" 18. जब कोई चेक जारी किया जाता है और उसे पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित समय अवधि के साथ किसी राशि के पुनर्भुगतान के लिए 'प्रतिभूति' के रूप में माना जाता है, तो यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा चेक जो 'प्रतिभूति' के रूप में जारी किया जाता है, ऋण या पुनर्भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली किस्त से पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए ऐसा चेक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है। इसके अलावा, उधारकर्ता के पास ऋण राशि या इस तरह के वित्तीय दायित्व को किसी अन्य रूप में और [2021] 9 एस. सी. आर. में चुकाने का विकल्प होगा।

इस तरह से यदि देय और देय ऋण की राशि दी गई है

सहमत अवधि के भीतर भुगतान करने के बाद, प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चेक को उसके बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऋण का पूर्व निर्वहन या एक परिवर्तित स्थिति होने के कारण जिसके कारण पक्षों के बीच समझ होगी, प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चेक को प्रस्तुत नहीं करना एक अनिवार्य शर्त है। ये केवल वे बचाव हैं जो एन. आई. की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में चेक खींचने वाले के लिए उपलब्ध होंगे।

एक्ट करें। इसलिए, एक कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि एक चेक जो प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है, उसे कभी भी चेक के निकासी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी समझ है तो एक चेक को 'ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट' तक कम कर दिया जाएगा और सभी परिस्थितियों में, यह केवल राशि की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमा होगा, जो कानून का इरादा नहीं है। जब एक चेक जारी किया जाता है, भले ही 'प्रतिभूति' के रूप में, तो परिणाम प्रवाहित होता है

वहाँ से चेक के दराज को भी पता है और ऊपर बताई गई परिस्थितियों में यदि चेक प्रस्तुत किया जाता है और

अनादर किए जाने पर, चेक/निकासी के धारक के पास वसूली के लिए दीवानी कार्यवाही शुरू करने या तथ्य की स्थिति में सजा के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का विकल्प होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, यह चेक लेने वाले के लिए नहीं है कि वह इस संबंध में शर्तें निर्धारित करे। मुकदमे की प्रकृति के अनुसार "।

शिकायत, जहाँ तक एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों को लागू किया गया था, तदनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को बहाल कर दिया गया था

23. वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच पी. एस. ए. ने परिकल्पना की कि दूसरा प्रतिवादी उस कंपनी को बिजली की आपूर्ति करेगा जिसकी अपीलार्थी निदेशक या प्रबंध निदेशक होते हैं, जैसा भी मामला हो। समझौते में कहा गया था कि आपूर्ति की जाने वाली बिजली का भुगतान एल. सी. के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, एल. सी. प्रदान किए गए थे, वे कथित रूप से दूसरे प्रतिवादी के बैंकरों को स्वीकार्य रूप में नहीं थे। अपीलार्थी इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि समाप्ति से पहले

समझौता, तीन महीने की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी

कंपनी। दूसरे शब्दों में, बिजली की आपूर्ति के लिए समझौते पर कार्रवाई की गई थी और दूसरे प्रतिवादी द्वारा बिजली की आपूर्ति की गई थी और कंपनी द्वारा खपत की गई थी। 24. सैम्पेली और श्रीपति सिंह में, देय ऋण किश्तों के लिए प्रतिभूति के रूप में पोस्ट-डेट चेक जारी किए गए थे।

तारीखों पर सुनील टोडी और ओआरएस। वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जो चेक निकाले गए थे, उन पर बकाया ऋण था। वर्तमान मामले में, चेक 30 जून 2016 को जारी किए गए थे। दूसरा। उत्तरदाता ने अगले दिन यानी 1 जुलाई 2016 से तुरंत बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी। इस मामले के तथ्य इंडस एयरवेज के तथ्यों के विपरीत हैं। इंडस एयरवेज में, चूंकि खरीद समझौता रद्द कर दिया गया था, इसलिए चेक को भुनाने से पहले कोई बकाया देयता नहीं थी। खरीद आदेशों के रद्द होने के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच लेन-देन नहीं हुआ।

25. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'ऋण या किसी अन्य दायित्व' का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य है।

दायित्व। धारा 138 के प्रावधान में कहा गया है कि चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिए, ऋण या अन्य देयता की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि उपहार के रूप में दिया गया चेक, धन की अपर्याप्तता के लिए वापस किए जाने की स्थिति में प्रावधान के दंडात्मक परिणामों को आकर्षित नहीं करेगा। अय्यर का न्यायिक शब्दकोश ऋण को इस प्रकार परिभाषित करता हैः ऋण एक आर्थिक दायित्व है। धन की मांग के संबंध में कार्रवाई द्वारा देय या वसूली योग्य राशि। वेब बनाम में लिंडे एल. जे. धारा 1 5 में ऋण को "... ऐसी राशि के रूप में परिभाषित किया गया है जो अब देय है या वर्तमान के कारण भविष्य में देय हो जाएगी।

दायित्व, व्यवहार में ऋण, भविष्य में समाधान। इस परिभाषा को इस न्यायालय द्वारा केशोरम इंडस्ट्रीज बनाम में अपनाया गया था। सी. डब्ल्यू. टी. 1, न्यायमूर्ति मुखर्जी ने बंचराम मजूमदार बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के लिए लिखा। आद्यनाथ भट्टाचार्जी "ने पीपल बनाम में कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई परिभाषा को अपनाया। आर्गुएलो 1 8 18: .

" अकेले खड़े होकर, 'ऋण' शब्द उस राशि पर लागू होता है जिसका वादा भविष्य में किया गया है और जो अभी देय और देय है। अगर हम दोनों के बीच अंतर करना चाहते हैं, तो हम पहले वाले के बारे में कहते हैं कि यह बकाया ऋण है, और दूसरे के बारे में कहते हैं कि यह बकाया ऋण है। दूसरे शब्दों में, ऋण दो प्रकार के होते हैंः समाधान में

भविष्य में भुगतान और समाधान। निश्चित रूप से और सभी मामलों में देय राशि एक ऋण है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि यह अभी या भविष्य में देय है। देय राशि

151888 क्यूबीडी 518

16 आकाशवाणी 1966 एससी 1370

17 (1909) आई. एल. आर. 36 कैल 936 181869 37 कैलिफ़ोर्निया 524

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक आकस्मिकता पर, हालांकि, एक ऋण नहीं है या एक ऋण नहीं बन जाता है

आकस्मिकता होने तक ऋण "।

इस प्रकार, सावधि ऋण में वह राशि भी शामिल है जिसका भुगतान वर्तमान दायित्व के कारण भविष्य के दिन करने का वादा किया गया है। दिनांकित एक पोस्ट

ऋण चुकाने के बाद जारी किए गए चेक को 'ऋण' की परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा। हालांकि, यदि देय राशि एक आकस्मिक पर निर्भर करती है

चेक के आहरण के समय एक बकाया ऋण है या इसमें चेक के भुनाने से पहले किए गए ऋण के लिए एक चेक का आहरण शामिल है। 26. एन. आई. अधिनियम का उद्देश्य चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाना और परक्राम्य उपकरणों की दक्षता में विश्वास पैदा करना है

बिजली आपूर्ति शुरू होने के निकट ही चेक जारी किया गया था। वाणिज्यिक लेन-देन के संदर्भ में चेक जारी करने को व्यावसायिक लेन-देन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चेक जारी होने के बाद बिजली की आपूर्ति की गई। यह अभिनिर्धारित करना कि चेक एक देयता के संदर्भ में जारी नहीं किया गया था, जिसे कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए बकाया का भुगतान करने के लिए माना जा रहा था, इसके विपरीत परिणाम देने के लिए होगा। व्यापारिक लेन-देन। यदि कंपनी संतोषजनक एल. सी. प्रदान करने में विफल रहती है और फिर भी बिजली का उपभोग करती है, तो बकाया राशि को पूरा करने के उद्देश्य से चेक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सुनील टोडी और ओआरएस। वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

27. शिकायतकर्ता के अनुसार, एल. सी. एक प्रारूप में नहीं थे

उनके बैंकरों ने सहमति व्यक्त की। जो चेक शुरू में सुरक्षा के लिए थे, उन्हें पीएसए के तहत भुगतान होने से पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यदि कंपनी को अपने दायित्व का निर्वहन करना था दूसरे प्रत्यर्थी के बैंकरों की संतुष्टि के लिए एल. सी. के सहमत तरीके के माध्यम से बिजली आपूर्ति समझौते के तहत बकाया का भुगतान करें, इसके बाद चेक प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, एक बार जब बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान पीएसए के संदर्भ में देय हो गया, और कंपनी अपने बकाया का निर्वहन करने में विफल रही, तो दूसरे प्रतिवादी को भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार था। केवल चेक को प्रतिभूति के रूप में लेबल करने से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक उपकरण के रूप में इसके चरित्र को कम नहीं किया जाएगा, एक बार बिजली की आपूर्ति प्रदान की गई थी जिसके लिए धन देय और देय था। ऐसा कोई अनम्य नियम नहीं है जो प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए चेक को अनुबंध के संदर्भ में भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से रोकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता उत्पन्न हुई है या नहीं।

28. इस स्तर पर, मैसर्स वोम्ब लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के आदेश पर ध्यान देना शिक्षाप्रद होगा।

विजय आहूजा 1. उस मामले में, उच्च न्यायालय ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पहले प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को केवल शिकायत में इस दावे के आधार पर रद्द कर दिया था कि "सुरक्षा चेक की मांग की गई थी" जिसके जवाब में आरोपी ने इस आश्वासन के साथ तीन हस्ताक्षरित खाली चेक जारी किए थे कि यदि राशि वापस नहीं की गई, तो चेक को भुनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि चेक केवल प्रतिभूति के माध्यम से दिए गए थे और इसलिए किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए नहीं, जिसके आधार पर शिकायत को रद्द कर दिया गया था। वादी द्वारा अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

" 5. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने पूरे मुद्दे को उलझाया है। शिकायत में अभिकथन इंगित करता है कि हस्ताक्षरित

अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को चेक सौंपे गए। चेक सुरक्षा के माध्यम से दिए गए थे, यह एक मामला है

रक्षा। इसके अलावा, यह किसी भी ऋण के निर्वहन के लिए नहीं था या कोई देयता भी बचाव का मामला नहीं है। प्रासंगिक तथ्यों को

बचाव पक्ष को यह साबित करना होगा कि इस तरह की प्रतिभूति को ऋण या आरोपी के अन्य दायित्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। कि

19 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1382-1383,11 सितंबर 2019 [2021] 9 एस. सी. आर. को तय की गई।

यह एक परीक्षण योग्य मुद्दा होगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिभूति के माध्यम से चेक सौंपने से आरोपी को बाहर नहीं निकाला जा सकेगा।

ऐसे चेकों से उत्पन्न होने वाले दायित्व के निर्वहन से।

29. वम्ब लैबोरेटरीज में इस न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि

यह मुद्दा कि क्या चेक सुरक्षा के माध्यम से दिए गए थे, बचाव का मामला है। वोम्ब लैबोरेटरीज में तर्क की यह पंक्ति एच. एम. टी. घड़ियों में टिप्पणियों के समान है, जहां यह माना गया था कि क्या चेक का एक सेट सुरक्षा के लिए दिया गया है या अन्यथा या क्या कोई बकाया देयता है, यह तथ्य का सवाल है जिसे साक्ष्य के आधार पर परीक्षण में निर्धारित किया जाना है। इसके लिए तर्क यह है कि इस प्रकृति के एक विवादित प्रश्न को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में हल नहीं किया जा सकता है, मुकदमे में अनुपस्थित साक्ष्य दर्ज किया जाना चाहिए।

30. प्रस्तुतिकरण जिसका पक्ष से आग्रह किया गया है

हालाँकि, अपीलकर्ताओं का कहना है कि यह तथ्य कि वर्तमान मामले में चेक एक प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए हैं, विवाद में नहीं है क्योंकि यह मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित मुकदमे में दूसरे प्रतिवादी के अभिवचन से स्वीकार किया गया है। धारा 138 की कानूनी आवश्यकता यह है कि भुगतान के लिए किसी व्यक्ति द्वारा चेक निकाला जाना चाहिए।

"किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए" दूसरे को धन की राशि। पक्षों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक चेक जारी किया जा सकता है। जहां, अंतर्निहित उद्देश्य पर कार्य करते हुए, पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक व्यवस्था फलीभूत हुई है, जैसा कि वर्तमान मामले में पी. एस. ए. के तहत बिजली की आपूर्ति से, खरीदार द्वारा भुगतान करने में विफलता पर चेक की प्रस्तुति एक परिणाम है जो दराज के विचार के भीतर होगी। दूसरे शब्दों में, चेक, ऐसे उदाहरण में प्रस्तुति के लिए परिपक्व हो जाएगा और, वास्तव में और प्रभावी रूप से, कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के लिए होगा। वर्तमान मामले में ठीक यही स्थिति है जो अपीलार्थियों की दलीलों को नकार देगी।

31. दूसरा निवेदन जो अपीलार्थियों की ओर से आग्रह किया गया है, धारा 202 सी. आर. पी. सी. पर निर्भर करता है, जिसे निकाला गया हैः

" 202. प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना। (1) कोई मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध की शिकायत की प्राप्ति पर, जिसका वह संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है या जिसे धारा 192 के तहत उसे सौंप दिया गया है, यदि वह उचित समझता है, [और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह है।

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,] सुनील टोडी और ओआरएस के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर दिया।

अभियुक्त, और या तो स्वयं मामले की जाँच करता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जाँच करने का निर्देश देता है जिसे वह उचित समझता है, यह तय करने के उद्देश्य से कि क्या नहीं

आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधारः

धारा 200 के तहत। (2) उप-धारा (1) के तहत जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझता है, तो शपथ पर गवाहों का साक्ष्य ले सकता हैः बशर्ते कि यदि

शिकायतकर्ता अपने सभी गवाहों को पेश करे और उनसे पूछताछ करे शपथ लें।

(3) यदि उप-धारा (1) के तहत जांच किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उसे उस जांच के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा इस संहिता द्वारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई सभी शक्तियां होंगी।

32. धारा 202 की उप-धारा (1) के तहत, एक मजिस्ट्रेट एक ऐसे अपराध की शिकायत की प्राप्ति पर जिसके लिए वह अधिकृत है

संज्ञान लेने वाले को अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने और या तो (i) मामले की जांच करने; या (ii) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है जो वह उचित समझे। जाँच या जाँच के उद्देश्यों के लिए प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या नहीं। आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जमीन है। हालांकि, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे मामले में ऐसा करना अनिवार्य है जहां आरोपी उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्ति औरंगाबाद में रहते हैं जबकि धारा 138 के तहत शिकायत मुंद्रा में मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गई थी। अपीलार्थियों का तर्क है कि इन परिस्थितियों में, मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने और या तो स्वयं मामले की जांच करने या या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य था। धारा 203 में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट शपथ पर बयान पर विचार करने के बारे में राय रखते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 9 एस सी आर।

मजिस्ट्रेट की राय किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए, वहाँ है कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार, वह (क) समन मामले में, अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है; (ख) वारंट मामले में, वारंट या यदि वह अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन उपयुक्त समझता है। इन कार्यवाहियों की व्याख्या इस न्यायालय के कई निर्णयों में की गई है। वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, उनमें से कुछ अपीलार्थियों और दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुतियों की विषय वस्तु हैं।

33. धारा 202 के प्रावधान, जो मजिस्ट्रेट को उस मामले में, जहां आरोपी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर रह रहा है, प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने के लिए अनिवार्य करते हैं, ताकि मामले की स्वयं जांच की जा सके या पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच का निर्देश दिया जा सके, 23 जून 2006 से 2005 के अधिनियम 25 द्वारा पेश किया गया था। संशोधन का तर्क संसद द्वारा इस मान्यता पर आधारित है कि दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उत्पीड़न के साधन के रूप में झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। विजय धनुका बनाम। नजीमा ममताज 20, इस न्यायालय ने धारा 202 में संशोधन के उद्देश्य पर विचार करते हुए कहाः

" 11. संहिता की धारा 202, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करने पर विचार करती है 'एक ऐसे मामले में जहां आरोपी उस क्षेत्र से परे एक स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है' और उसके बाद या तो स्वयं मामले की जांच करें या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दें जो वह उचित समझे। इसके सामने, हमारी क्या आवश्यकता है निर्धारण इस
बारे में है कि क्या किसी मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट है।

उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, जांच अनिवार्य है या नहीं।

12. शब्द और शब्द, ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (2005 का केंद्रीय अधिनियम 25) की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे। विधायिका की राय में, उपरोक्त संशोधन आवश्यक था क्योंकि यहां रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

20 (2014) 14 एस. सी. सी. 638 सुनील टोडी और ओ. आर. एस.

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उन्हें परेशान करने के लिए दूर-दराज के स्थानों पर। संशोधन के लिए नोट इस प्रकार हैः ' दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले लोगों के खिलाफ केवल उन्हें परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। यह देखने के लिए कि निर्दोष व्यक्तियों को बेईमान व्यक्तियों द्वारा परेशान नहीं किया जाता है, यह खंड धारा 202 की उप-धारा (1) में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि इसे अनिवार्य बनाया जा सके -

मजिस्ट्रेट ने कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को बुलाने से पहले वह स्वयं मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जांच का निर्देश देगा, जो यह पता लगाने के लिए कि क्या पर्याप्त था या नहीं। अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार "।

"होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट द्वारा जांच या जांच को अनिवार्य बनाता है, जैसा भी मामला हो। "होगा" शब्द आम तौर पर अनिवार्य है लेकिन

कभी-कभी, संदर्भ या इरादे को ध्यान में रखते हुए, इसे निर्देशिका माना जा सकता है। सब में "होगा" शब्द का उपयोग

परिस्थितियाँ निर्णायक नहीं होतीं। उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम विधायिका के इरादे को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को झूठी शिकायतों से बेईमान व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न से रोकना है। इसलिए, हमारी राय में, "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग और पृष्ठभूमि और उद्देश्य जिसके लिए संशोधन लाया गया है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी करने से पहले जांच या जांच अनिवार्य है।

34. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट आवेदन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है

शिकायत में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच में दर्ज किए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करते हुए कि क्या कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। महमूद यू. आई. में

रहमान बनाम। खज़ीर मोहम्मद टुंडा 2 1, इस न्यायालय ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम में दिए गए कथन का पालन किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 2, और

यह देखा गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कानून को लागू करना एक

गंभीर बात है। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या शिकायत में आरोप दर्ज किए गए बयानों के साथ या की गई जांच कानून का उल्लंघन है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

21 (2015) 12 एससीसी 420

22 (1998) 5 एससीसी 749 [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 20. मामला कानून के व्यापक संदर्भ से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि शिकायत पर अपराध का संज्ञान आरोपी को प्रक्रिया जारी करने के उद्देश्य से लिया जाता है। चूँकि यह कुछ तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेने की प्रक्रिया है जो एक अपराध का गठन करते हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप, जब दर्ज किए गए बयानों या उस पर की गई जांच के साथ विचार किया जाता है, तो यह कानून का उल्लंघन होगा ताकि किसी व्यक्ति को आपराधिक अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया जा सके। यह है।

एक यांत्रिक प्रक्रिया या निश्चित रूप से कोई बात नहीं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट [पेप्सी फूड्स

लिमिटेड वी. न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एस. सी. सी. 749: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1400] किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कानून की प्रक्रिया को गति देने के लिए

यह एक गंभीर मामला है "।

***

" 22. मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) और उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत उठाए गए कदमों में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि -

मजिस्ट्रेट ने तथ्यों और बयानों पर अपना दिमाग लगाया है और वह संतुष्ट हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कानून के उल्लंघन का आरोप है, उसे अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहकर मामले में आगे बढ़ने का आधार है। संतुष्टि की बात

वह भी कारणों को केवल संक्षेप में बताए जाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष दायर प्रत्येक शिकायत का संज्ञान लेने और निश्चित रूप से प्रक्रिया जारी करने में डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में पर्याप्त संकेत होना चाहिए कि वह संतुष्ट है कि शिकायत में आरोप एक अपराध है और कब दर्ज किए गए बयानों और धारा 202 सी. आर. पी. सी. के तहत जांच या जांच की रिपोर्ट के परिणाम के साथ माना जाता है, यदि कोई हो, तो आरोपी आपराधिक अदालत के समक्ष जवाबदेह है।

अभियुक्त के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत पेशी के लिए प्रक्रिया जारी करके कार्यवाही करने के लिए। मस्तिष्क का उपयोग सबसे अच्छा सुनील टोडी और ओआरएस है।

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संतुष्टि पर मन के प्रकटीकरण द्वारा प्रदर्शित। यदि किसी ऐसे मामले में ऐसा कोई संकेत नहीं है जहां मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत आगे बढ़ता है, तो उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक अदालत की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने के लिए बाध्य है। अभियुक्त के रूप में आपराधिक अदालत में पेश होने के लिए बुलाया जाना एक गंभीर मामला है जो किसी को प्रभावित करता है। समाज में गरिमा, आत्म-सम्मान और छवि। इसलिए आपराधिक अदालत की प्रक्रिया को उत्पीड़न का हथियार नहीं बनाया जाएगा।

इन निर्णयों को अभिजीत पवार बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। हेमंत मधुखर निंबालकर 2 3. उद्देश्य का उल्लेख करने के बाद

धारा 202 के संशोधन के अंतर्गत, न्यायालय ने कहाः

" 25. ..... संशोधित प्रावधान मजिस्ट्रेट पर एक दायित्व डालता है

अपने दिमाग को सावधानीपूर्वक लागू करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर, जब दर्ज किए गए बयानों या उस पर की गई जांच के साथ विचार किया जाता है, तो प्रथम दृष्टया वह अपराध होगा जिसके लिए शिकायत दर्ज की गई है। यह इस न्यायालय द्वारा हाल ही में आवश्यकता पर जोर दिया गया है

फैसला महमूद उल रहमान बनाम। खज़ीर मोहम्मद

टुंडा [महमूद उल रहमान बनाम। खजीर मोहम्मद टुंडा (2015) 12 एस. सी. सी. 420: (2016) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 124]।

35. यह देखते हुए कि प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच करने या जांच का निर्देश देने की आवश्यकता एक खाली औपचारिकता नहीं है, अदालत ने विजय धनुका के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट द्वारा यह तय करने के उद्देश्य से अभ्यास कि क्या आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, और कुछ नहीं बल्कि संहिता की धारा 202 के तहत परिकल्पित जांच है।

36. बिड़ला निगम लिमिटेड बनाम। एडवेंटज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स 24, जिन पहले के निर्णयों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उन्हें निर्णय के दौरान उद्धृत किया गया था। न्यायालय ने कहाः

" 26. इस धारा के तहत जांच का दायरा केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने तक ही सीमित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 204 के तहत जारी की जानी चाहिए या नहीं या क्या शिकायत को धारा 203 का सहारा लेकर खारिज किया जाना चाहिए।

23 (2017) 3 एस. सी. सी. 528 24 (2019) 16 एस. सी. सी. 610 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयानों का आधार, यदि कोई हो। सी. आर. पी. सी. की धारा 202 के तहत जांच के चरण में,

मजिस्ट्रेट केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों या शिकायत में किए गए कथनों के समर्थन में साक्ष्य से संबंधित है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि इसके लिए पर्याप्त आधार है।

अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही "।

इसलिए, न्यायालय ने कहाः

" 33. अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। मन के अनुप्रयोग को संतुष्टि पर मन के प्रकटीकरण द्वारा इंगित किया जाना चाहिए। एक शिकायत मामले में अभियुक्त को समन जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की ओर से कर्तव्यों पर विचार करते हुए और यह कि दिमाग के अनुप्रयोग के रूप में पर्याप्त संकेत होना चाहिए और यह देखते हुए कि

मजिस्ट्रेट को इसका संज्ञान लेने में डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है

महमूद उल रहमान [महमूद यू. आई.] में शिकायत

रहमान बनाम। खजीर मोहम्मद टुंडा, (2015) 12 एस. सी. सी. 420: (2016) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 124] ".

उपरोक्त सिद्धांतों को कृष्ण लाल चावला बनाम के फैसले में दोहराया गया है। U.P²5 की स्थिति।

37. इस पृष्ठभूमि में, अब यह आवश्यक हो जाता है कि संविधान पीठ के 16 अप्रैल 2021 के एक आदेश का पुनः विज्ञापन किया जाएः शीघ्रतापूर्ण

एन. आई. अधिनियम 188126 की धारा 138 के तहत मामलों की सुनवाई। संविधान पीठ ने "धारा 138 के तहत दायर शिकायतों की व्यापक लंबितता" और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि "स्थिति में सुधार नहीं हुआ है क्योंकि अदालतें भारी लंबितता के साथ संघर्ष कर रही हैं"। अदालत ने कहा कि सात प्रमुख मुद्दे थे जो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न हुए थे, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 की प्रयोज्यता के संबंध में भी शामिल थे। एन. आई. अधिनियम की धारा 143

यह प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 से 265 (संक्षिप्त परीक्षणों से संबंधित अध्याय 21 का एक हिस्सा) एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सभी परीक्षणों पर लागू होगी। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों में सी. आर. पी. सी. की धारा 202 के तहत जांच के दायरे पर, उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद था। कुछ उच्च न्यायालयों ने माना था कि मजिस्ट्रेट के लिए जांच करना अनिवार्य था

25 (2021) 5 एससीसी 435। 26 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 2 पर 16 अप्रैल 2021 को निर्णय लिया गया।

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

138 पर दायर शिकायतों में प्रक्रिया जारी करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों में इसके विपरीत विचार थे।

संदर्भ में, न्यायालय ने कहाः

" 10. संहिता की धारा 202 मजिस्ट्रेट को अधिकारिता प्रदान करती है। यह तय करने के उद्देश्य से जांच करना कि क्या पर्याप्त है

प्रक्रिया के मुद्दे को उचित ठहराने वाले आधार बनाए जाते हैं। द.

संहिता की धारा 202 में संशोधन

बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। एडवेंटज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य) . उनके बीच मतभेद रहा है। अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायतों के संबंध में धारा 202 की प्रयोज्यता से संबंधित उच्च न्यायालय। धारा 138 के तहत कुछ मामलों का फैसला उच्च न्यायालयों द्वारा इस विचार को बरकरार रखते हुए किया गया है कि धारा 138 के तहत दायर शिकायतों में प्रक्रिया जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए संहिता की धारा 202 में प्रदान की गई जांच करना अनिवार्य है। कुछ अन्य मामलों में विपरीत विचार व्यक्त किए गए हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि अभियुक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा है, मजिस्ट्रेट के लिए प्रत्येक मामले में प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, यह भी माना गया है कि संहिता की धारा 202 के तहत जांच नहीं करने से यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया जारी करने में बाधा नहीं आएगी

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है।

11. विद्वान न्यायमित्र ने के. एस. जोसेफ बनाम में इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड और ए. एन. आर. जहां धारा 138 के तहत दायर शिकायतों के संबंध में संहिता की धारा 202 के तहत जांच की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया गया था। विजय धनुका (ऊपर), अभिजीत पवार (ऊपर) और बिड़ला निगम (ऊपर) में इस अदालत के फैसलों को देखते हुए, अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले अभियुक्तों को समन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच को समाप्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान न्यायमित्र ने सिफारिश की कि मजिस्ट्रेट को जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि पर्याप्त आधार [2021] 9 एस. सी. आर. हैं।

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करना। हम सहमत हैं कि

अमीसी सीखी। "

38. एन. आई. अधिनियम की धारा 145 में प्रावधान है कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पत्र पर दिया जा सकता है, जिसे नीचे पढ़ा जाएगा।

सी. आर. पी. सी. में कुछ भी निहित होने के बावजूद जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य। संविधान पीठ ने कहा कि धारा 138 के तहत दायर शिकायतों में सुनवाई में तेजी लाने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ 2003 से अधिनियम में धारा 145 को जोड़ा गया है। इसलिए, अदालत ने नोट किया कि यदि शिकायतकर्ता का साक्ष्य इसके द्वारा दिया जा सकता है

शपथपत्र पर, गवाहों के साक्ष्य को शपथ पर लेने पर जोर देने का कोई कारण नहीं है। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (2) शपथ पर गवाहों की परीक्षा के संबंध में धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों के साक्ष्य को शपथ पत्र पर अनुमति दी जाएगी। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं जाँच करता है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि उसे गवाहों से पूछताछ करनी चाहिए और उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट कर सकता है। इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि धारा 202 के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, दस्तावेजों की जांच करें।

39. वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने कहा हैः

((i) शिकायत;

शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामा;

((ख)

((ग) साक्ष्य सूची के अनुसार साक्ष्य और

@ ((iv) शिकायतकर्ता की प्रस्तुतियाँ।

40. मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को मन का उपयोग न करने के विश्वासघात के रूप में अमान्य नहीं माना जा सकता है। डी में। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक v. रोशनलाल अग्रवाल ", इस अदालत ने फैसला सुनाया है

कि इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या प्रक्रिया जारी की जानी है, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। क्या साक्ष्य दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, यह केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता है।

[इस संदर्भ में भूषण कुमार बनाम में निर्णय को भी देखें। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 28]।

27 (2003) 4 एस. सी. सी. 139 28 (2012) 5 एस. सी. सी. 424 सुनील टोडी और ओ. आर. एस.

वी. गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

41. उच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ शिकायत को रद्द नहीं किया

लांट्स क्योंकि यह प्रथम दृष्टया स्थापित किया गया था कि वे परीक्षण योग्य थे

चेक का सम्मान। एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

141. कंपनियों द्वारा अपराध। - (1) यदि धारा 138 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो

जिस समय अपराध किया गया था, वह कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई और दंडित किया जाएगा।

तदनुसार: बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध था

उसकी जानकारी के बिना किया गया, या कि उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था: [बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को उसके किसी पद या रोजगार के आधार पर किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया जाता है

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक वित्तीय

केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निगम, जैसा भी मामला हो, वह उत्तरदायी नहीं होगा।

इस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिए।] (2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है।

और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी

उस अपराध का दोषी भी माना जाएगा और वह इसके लिए उत्तरदायी होगा -

उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तदनुसार दंडित किया जाए।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-(ए) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित व्यक्ति और इसमें कोई फर्म या अन्य संघ शामिल है। (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है -

फर्म में भागीदार "।

42. एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में कहा गया है कि यदि किसी कंपनी पर धारा 138 के तहत अपराध करने का आरोप है, तो प्रत्येक व्यक्ति

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार था, उसे भी सीई का दोषी माना जाएगा। परंतुक एक अपवाद प्रदान करता है यदि वह साबित करती है कि अपराध [2021] 9 एस. सी. आर.

उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उचित परिश्रम किया था। सुनील भारती मित्तल बनाम। सीबीआई 2 9 29, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सामान्य नियम यह है कि व्यवसाय करने वाले लोगों के एक समूह के आपराधिक इरादे को कंपनी पर आरोपित किया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। इस सामान्य नियम को केवल दो अपवाद प्रदान किए गए थेः ((i) जब व्यक्ति ने अपराध को कायम रखा है और व्यक्ति की सक्रिय भूमिका पर पर्याप्त साक्ष्य है; और (ii) क़ानून स्पष्ट रूप से प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को शामिल करता है। न्यायमूर्ति सीकरी ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

" 43. इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसने किसी कंपनी की ओर से अपराध किया है, उसे आरोपी बनाया जा सकता है। कंपनी
के साथ, यदि उसके सक्रिय होने का पर्याप्त सबूत है

आपराधिक इरादे के साथ भूमिका। दूसरी स्थिति जिसमें वह

उन मामलों में फंसाया जा सकता है जहां वैधानिक शासन स्वयं प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करता है, विशेष रूप से
इस तरह के प्रावधान को शामिल करना।

44. जब कंपनी अपराधी होती है, तो निदेशकों के प्रत्यावर्ती दायित्व को स्वचालित रूप से आरोपित नहीं किया जा सकता है।

इस आशय का वैधानिक प्रावधान। ऐसा ही एक उदाहरण खंड है।

141 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। अनीता में

हाडा [अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 661: (2012) 3 एससीसी (सी. आई. वी.) 350: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 241], न्यायालय ने नोट किया कि यदि व्यक्तियों का एक समूह जो मार्गदर्शन करता है

कंपनी के व्यवसाय का आपराधिक इरादा होता है, जो निगमित निकाय पर लगाया जाएगा और इस पृष्ठभूमि में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 को समझना होगा। इस तरह की स्थिति, इसलिए, वैधानिक इरादे के कारण है जो इसे एक काल्पनिक कल्पना बनाती है। यहाँ भी, "अहंकार को बदलने" का सिद्धांत केवल एक दिशा में लागू किया गया था, अर्थात्, जहाँ व्यवसाय का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों के एक समूह का आपराधिक इरादा था, वह है निगमित निकाय पर आरोप लगाया जाना, न कि इसके विपरीत। अन्यथा, निदेशक या कथित रूप से कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन में किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य होना चाहिए, इस प्रभाव के लिए कि ऐसा व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार था या

कंपनी की ओर से "।

43. एस. एम. एस. में फार्मास्युटिकल्स वी. नीता भल्ला 3 0, तीन न्यायाधीश

पीठ ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 141 के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए कहा है कि एक प्रबंध निदेशक की स्थिति

29 (2015) 4 एस. सी. सी. 609

30 (2005) 8 एस. सी. सी. 89 सुनील टोडी और ओ. आर. एस.

उस पद पर आसीन लोग आचरण के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं व्यवसाय से। यह देखा गया कि हालांकि एक सामान्य धारणा है

कि प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक कंपनी के आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं, निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वह अपराध के समय कंपनी के आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं था। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 9. प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक का पद एक कंपनी में अलग हो सकता है। इन व्यक्तियों को पदनाम के रूप में

उनके कार्यालय का सुझाव है, एक कंपनी के प्रभारी हैं और हैं

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार। में।

दायित्व से बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपना मामला लाना पड़ सकता है

अपराध या कि उन्होंने रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया अपराध का कमीशन।

[.....]

कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति इसके दायरे में नहीं आएगा।

प्रावधान की सीमा। यह केवल वे लोग हैं जो अंदर थे

के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार

अपराध के समय कंपनी, जो होगी आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी। इससे यह पता चलता है कि यदि एक निदेशक

कंपनी जो प्रभारी नहीं थी और जिसके लिए जिम्मेदार नहीं थी संगत समय पर कंपनी के व्यवसाय का संचालन,

प्रावधान के तहत उत्तरदायी नहीं होगा। दायित्व उत्पन्न होता है के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होना

संगत समय पर कंपनी का व्यवसाय जब

अपराध किया गया था और केवल के आधार पर नहीं

किसी कंपनी में पदनाम या पद धारण करना। इसके विपरीत, ए

कंपनी में कोई पद या पद नहीं रखने वाला व्यक्ति हो सकता है उत्तरदायी यदि वह प्रभारी होने की मुख्य आवश्यकता को पूरा करता है

और किसी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार

प्रासंगिक समय। ”

(जोर दिया गया)

दो न्यायाधीशों की पीठ ने इसी सिद्धांत का पालन किया है।

मैनुद्दीन अब्दुल सत्तार शेख बनाम। विजय डी साल्वी 3 1:

31 (2015) 9 एससीसी 622 [2021] 9 एस. सी. आर.

" 12. प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया है कि शिकायत में अपीलार्थी ने यह दावा नहीं किया है कि अभियुक्त राज्य के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति था।

कंपनी। हालाँकि, चूंकि प्रत्यर्थी मेसर्स साल्वी इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मेसर्स साल्वी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एकमात्र मालिक थे, इसलिए विशिष्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। बिन्दु पर अवलोकन करें। इस न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु मामले में निर्णय दिया है

इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन। लिमिटेड वी. हरमीत सिंह पेंटल [(2010) 3 एस. सी. सी. 330 (2010) 1 एस. सी. सी. (सिविल) 677: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1113], निम्नानुसार हैः (एस. सी. सी पी. 346, पैरा 39)

" 39. (v) यदि अभियुक्त एक प्रबंध निदेशक या एक संयुक्त प्रबंध निदेशक है तो शिकायत में विशिष्ट कथन करना आवश्यक नहीं है और अपनी स्थिति के आधार पर वे उत्तरदायी हैं

आगे बढ़े "।

44. यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण है कि क्या कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रबंध निदेशक या निदेशक पर आरोप लगाया जाना चाहिए

यह निर्धारित करना कि क्या एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की शर्तों को पूरा किया गया है, यानी कि क्या व्यक्ति अपराध के दौरान कंपनी के मामलों का प्रभारी और जिम्मेदार था। हालांकि, यह निर्धारित करना कि क्या एमएमडीआर अधिनियम की धारा 141 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है, एक परीक्षण का विषय है। शिकायत में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला उठाने के लिए पर्याप्त दावे हैं।

उन्हें। यह केवल मुकदमे में ही है कि वे धारा 141 के प्रावधान का सहारा ले सकते हैं, न कि प्रक्रिया जारी करने के चरण में।

मुकदमे में बचाव के मामले। मजिस्ट्रेट ने अपना प्रयोग किया विवेकाधिकार, यह उच्च न्यायालय के लिए अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करने के लिए खुला नहीं था।

उच्च न्यायालय ने सावधानीपूर्वक विचार किए गए निर्णय में, अपीलार्थियों की दलीलों का विश्लेषण किया है और उचित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उनमें सार की कमी है।

46. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। अपील खारिज हो जाएगी।

47. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।